FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालम कलेक्टर मुकाम बसवा

सरकार बनाम अजीत

स्म मुकदमा 212 RTA नं. 172 सन 2023

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	18.10.2023 तहसीलदार बसवा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा--212 के इस आशय का पेश किया है कि ग्राम काटरवाडा तह. बसवा स्थित भूमि खाता संख्या 44 के ख0नं0 465 रकबा 3.69 है0 में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण/खातेदारान ने भूमि खाता संख्या 44 ख0नं0 465 रकबा 3.69 है0 में प्लाटिंग काटकर कृषि भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाकर कृषि भूमि का स्वरूप बिगाड दिया है। अप्रार्थीगण/खातेदारान द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमों का उल्लंघन किया है। अतः खातेदारों की खातेदारी समाप्त कर भूमि से खातेदाराऩ को बेदखल कर खातेदारी भूमि को सिवायचक घोषित किया जाना आवश्यक है तथा खातेदारान/अप्रार्थीगण कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर बेचान करने पर अमादा है। जिससे राजस्व की हानि होने की सम्भावना है। इसलिये खातेदार/अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। हमने तहसीलदार बसवा को सुना। तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रथम दृष्ट्या प्राईमा फैसाई केस सुविधा का सन्तुलन तथा उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार बसवा के पक्ष में होना उचित प्रतीत होता है। अतः खातेदारान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा--212 के अन्तर्गत इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी 28.11.2023 तक ग्राम काटरवाडा तह. बसवा स्थित भूमि खाता संख्या 44 के ख0नं0 465 रकबा 3.69 है0 किस्म बारानी 1 की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की स्थिति यथावत कायम रखी जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी खातेदारान/अप्रार्थीगण की जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा नोटिस/सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 28.11.2023 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	28.11.23 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई अतः आदेश की पालना में दिनांक 23.1.24 को पेश हो॥ हस्ताक्षर रीडर
	8/12/23 पत्रावली शीघ्र सुनवाई प्रार्थना-पत्र जरिये एड० श्री मनोज मिश्रा वास्ते प्रतिवादी सं० 6 गोकुल के परिपेक्ष्य में न्यायालय पटल पर रखी गई। पत्रावली में शीघ्र सुनवाई के क्रम में नोटिस प्रार्थी तहसीलदार बसवा को जारी होकर पत्रावली आ० तारीख 20.12.2023 को पेश हो
	20/12/23 पत्रा० पेश हुई। प्रतिवादी सं०6 की ओर से धारा 151 CPC एवं जवाब वास्ते अप्रार्थी सं०6 जरिये एड० मनोज मिश्रा पेश किये गये। पैरोकार सरकार एवं तहसीलदार बसवा उप० आये। उ.ने द्वारा प्रकरण में बहस T.I. की गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 03-1-2024 को पेश हो।
	03/01/2024 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण T.I. में आदेश पृथक से लिखवाया गया जो शामिल मिसल हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला–दौसा

ग संख्या 172/2023
। दिनांक 03.01.2024

प्रकरण :– अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 सपठित धारा 177 रा.का.अधि.

प्रकरण का उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बसवा जिला–दौसा (प्रार्थी)

बनाम

01.कंचन पुत्र रघुनाथ
02.अजीत पुत्र किशनलाल
03.कमलेश पुत्र लक्ष्मण
04.कमला पुत्री रघुनाथ
05.कमोद पुत्र रामजीलाल
06.काली देवी पत्नी रामजीलाल
समस्त जाति मीना निवासी काटरवाडा
07.गोकुल पुत्र कन्हैया लाल जाति मीना निवासी जगसोली
08.गोविन्दी देवी पत्नी लक्ष्मण
09.घमण्डीलाल पुत्र किशनलाल
10.घासी पुत्र किशनलाल
11.देवकरण पुत्र रघुनाथ
12.पूजा पुत्री रामखिलाडी ना.बा.
13.प्रकाश पुत्र मु. प्रभू
14.प्रकाश पुत्र रघुनाथ
15.पूरण पुत्र दौला
समस्त जाति मीना निवासी काटरवाडा
16.बद्री प्रसाद पुत्र मंगल राम जाति मीना निवासी खूण्डजाटौली
17.मुथरेश पुत्र रामखिलाडी
18.मुरारी पुत्र रामजीलाल
19.मुरारी पुत्र रामसहाय
20.रघुवीर पुत्र रामजीलाल
21.रज्जो बाई पुत्री रघुनाथ
22.रम्बू पुत्र मंगला
23.राजन्ती देवी पत्नी रामविलास
24.राजन्ती देवी पत्नी रामखिलाडी
25.रामकिशन पुत्र बालूराम

26.रामजीवन पुत्र दौला
27.रामनिवास पुत्र फूल्या
28.रामस्वरूप पुत्र दौला
29.लेखराज पुत्र रामखिलाडी
30.लालाराम पुत्र किशनलाल
31.लाली पुत्री रघुनाथ
32.सुगनी देवी पत्नी किशनलाल
33.संग्राम पुत्र लक्ष्मण
34.हेमराज पुत्र रामखिलाडी
35.हरप्यारी देवी पत्नी रम्भू
समस्त जाति मीना निवासी काटरवाडा ग्राम पंचायत बडियालखुर्द तहसील बसवा

(अप्रार्थीगण)

–: **निर्णय वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्तीकरण** :–

(दिनांकः–03.01.2024)

उपस्थितिः–1.पैरोकार सरकार तह. बसवा वास्ते वादीगण
2.एडवोकेट श्री मनोज कुमार मिश्रा वास्ते अप्रार्थीगण की ओर से

...पत्रावली पेश हुई। प्रश्नगत प्रकरण में इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र का संक्षिप्त वृतान्त इस ...है कि तहसीलदार बसवा द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का एक अस्थाई निषेधाज्ञा ...ा पत्र पेश किया है कि ग्राम काटरवाडा पटवार हल्का बडियालखुर्द स्थित खाता संख्या 44 के ...0 465 रकबा 3.69 है0 किस्म बारानी 1 उक्त अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। ...री हल्का बडियालखुर्द की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त आराजी की कृषि भूमि में प्लाटिंग ...कर कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। लिहाजा रिकोर्ड एवं मौका स्थिति ...त कायम रखने के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 में न्यायालय हाजा द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ...ा जारी करते हुए, आदेश में अंकन किया गया कि खातेदारान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ...काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अंतर्गत इस आशय से पाबन्द किया जाता है ...आगामी तारीख पेशी तक ग्राम काटरवाडा पटवार हल्का बडियालखुर्द स्थित खाता संख्या 44 ...स0नं0 465 रकबा 3.69 है0 किस्म बारानी 1 की राजस्व रिकोर्ड एवं मौका की स्थिति यथावत ...न रखी जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करके, नोटिस जारी किये गये। जिनकी अनुपालना में एडवोकेट ...मनोज कुमार मिश्रा द्वारा अप्रार्थीगण गोकुल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम ...ोली तहसील बसवा की ओर से उपस्थित आये।

एडवोकेट अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.12.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व ...ा पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पेश करते हुए, प्रकरण में प्रदत्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ...त करने हेतु न्यायालय हाजा से निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त वृतान्त इस ...र हैः–

नांक 20.12.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा.दी. वकील अप्रार्थीगण द्वारा न किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम काटरवाडा पटवार हल्का बडियालखुर्द में सभी खातेदारान बहामी बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है, डोल टूटने से होने वाले वादों से बचने के लिए सभी पक्षकारान द्वारा अपने–अपने हिस्से की भूमि पर आवारा पशुओं से क्षा हेतु खाम डोल के स्थान पर पुख्ता दो–दो फिट पत्थर की बाउण्ड्रीवाल बनाकर काश्त कर योग उपभोग करते आ रहें। उसमें किसी प्रकार की प्लाटिंग नहीं की जा रही है। उक्त आराजी के पर खाली है और काश्त के उपयोग में आ रही है। अस्थायी निषेधाज्ञा की स्थिति में खातेदार नी भूमि का सम्परिवर्तन करवाने व अन्य कार्य में लेने से वंचित हो रहे हैं एवं अस्थायी निषेधाज्ञा रिज होने पर मिन अप्रार्थीगण नियमानुसार भूमि सम्परिवर्तन कराने के लिए तत्पर है। अतः करण निरस्त फरमाया जावे।''

अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के बारे में पैरोकार सरकार तहसीलदार बसवा की बहस सुनी गई। नके द्वारा पूर्व में प्रदत्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का सही होना बताया, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ामी बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर डोल टूटने से होने वाले विवादों से बचने एवं वारा पशुओं से सुरक्षा हेतु खाम डोल के स्थान पर पुख्ता दो–दो फिट पत्थर की बाउण्ड्री वाया जाना अवगत कराया एवं मिन अप्रार्थीगण के नियमानुसार भूमि सम्परिवर्तन कराने के लिए पर होने के बावजूद भी दौराने अस्थाई निषेधाज्ञा, प्रश्नगत भूमि पर सम्परिवर्तन सम्बन्धी र्यवाही सम्भव नही है, इस बिन्दु पर कोई विधिसम्मत जवाब दौराने बहस पैरोकार सरकार प्रस्तुत हीं कर सके।

लिहाजा उपरोक्त बहस के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि प्रकरण में प्रथम ष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त– तीनों ही बिन्दु वादी पक्ष के जाए प्रतिवादी पक्ष में सिद्ध होते हैं।

–ःआदेशः–

वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया ाकर, प्रकरण में पूर्व में प्रदत्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वास्ते आदेश खाता संख्या 44 खा0नं0 465 रकबा 3.69 है0 किस्म बारानी1 ग्राम–काटरवाडा, पटवार हल्का डियालखुर्द, तहसील बसवा को निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, ाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बसवा, जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी